



गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

Central University established by the Central University Act, 2009 No. 29 of 2009
Web Site - www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260022, Fax No. 07752-260148,154

क 534/अका/शोध/अर्थशास्त्र/2022

बिलासपुर दिनांक 07/03/2022

प्रति

Aarti Rathour (Research Scholar)
D/O Ganesh Prasad Rathour
Department of Economics
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

विषय- यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतममानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 12-01-2022 में लिए गये निर्णय के परिदृश्य में शोध कार्य हेतु (विषय) अर्थशास्त्र, विद्यापीठ-सामाजिक विज्ञान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है-

| शोध का विषय शीर्षक | शोध निर्देशक | | |
|---|---|-------------|-----------------|
| छत्तीसगढ़ राज्य में गोड़ जनजाति के आजीविका के साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के विशेष संदर्भ में) | डॉ. राजभानु पटेल सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) | | |
| शोध केन्द्र | पंजीयन क्रमांक | पंजीयन तिथि | नामांकन क्रमांक |
| अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर(छ.ग.) | 195323601 | 12-01-2022 | GGV/14/8211 |

1. आप यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियम R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमशः